न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट

पीठासीन अधिकारी :— प्रदीप कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 27/2023

प्रार्थीगण

1. मांगीलाल पुत्र रामरख
2. भागीरथ पुत्र रामरख
3. बाबूराम पुत्र खेराजराम
4. सुखाराम पुत्र खेराजराम
5. सोमारी पत्नी रामरख
6. बुधाराम पुत्र आईदानराम
7. मालाराम पुत्र आईदानराम
   जाति विश्नोई निवासी पल्ली द्वितीय तहसील लोहावट जिला फलौदी।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. गंगाराम पुत्र किस्तुराराम
2. आदूराम पुत्र पूर्णाराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 मानाराम पुत्र आदूराम
   2/2 राडीराम पुत्र आदूराम
   2/3 बंशीलाल पुत्र आदुराम
   2/4 भागीरथराम पुत्र आदुराम
   2/5 कमला पुत्री आदुराम
   2/6 बरजु पुत्री आदूराम
   2/7 सुवटी पुत्री आदुराम
   2/8 पूनी पुत्री आदुराम
3. चैनाराम पुत्र धनाराम
4. बाबूराम पुत्र धनाराम
5. मोहनराम उर्फ बाबू पुत्र धनाराम
6. लेखराम पुत्र धनाराम
7. हेतराम पुत्र धनाराम
8. हनुमानाराम पुत्र धनाराम
   सभी जाति विश्नोई निवासी पल्ली द्वितीय तहसील लोहावट जिला फलौदी।
9. तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :—प्रार्थीगण की ओर से :—अधिवक्ता श्री महीराम विश्नोई।

अप्रार्थीगण की ओर से :— एक पक्षीय कार्यवाही।

—:: निर्णय ::— **दिनांक** 10·1·24

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के खातेदारी अधिकारों की भूमि तहसील लोहावट पटवार मण्डल पल्ली के राजस्व ग्राम पल्ली द्वितीय की सरहद में खेत खसरा नम्बर 1370/2 रकबा 3.6826 हैक्टेयर किस्म बारानी—3 की भूमि स्थित है, प्रार्थी संख्या 5 के खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि ग्राम पल्ली द्वितीय खसरा नम्बर 1370/1 रकबा 0.4856 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 भूमि स्थित है एवं प्रार्थीगण संख्या 6 ता 7 के खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि ग्राम पल्ली द्वितीय खसरा नम्बर 1370/3 रकबा 3.3832 हैक्टेयर किस्म बारानी—2 भूमि स्थित है जो भूमि मूल खसरा नम्बर 1370 का भाग है प्रार्थीगण के पड़ौस में सरहद मौजा पल्ली द्वितीय में स्थित खसरा नम्बर 1368/1 रकबा 3.2375 हेक्टेयर किस्म बारानी— 2 अप्रार्थी संख्या 1 के, खसरा नम्बर 1368/2 रकबा 5.1314 हैक्टेयर किस्म बारानी—2 अप्रार्थी संख्या 2 के एवं खसरा नम्बर 1370 रकबा 21.5454 हेक्टेयर किरम बारानी—2 अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 के नाम की खातेदारी की भूमि आई हुई है प्रार्थीगण के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 द्वारा प्रार्थीगण की सीमाओं, कणा—माठों को खुर्द—बुर्द कर प्रार्थीगण की जमीन में घुसकर कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण ने खातेदारी की भूमि की पैमाईश के लिए तहसीलदार साहब लोहावट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार फीस जमा करवायी जाकर पेमाईश करने के लिए आदेश कमांक पृष्ठ संख्या 17 कम संख्या 10 दिनांक 09.12.2021 को प्राप्त किया गया। जिस पर तहसीलदार लोहावट के आदेशानुसार हल्का पटवारी पल्ली ने सीमांकन करने के लिये मौके पर गये तथा मौजुद पोईन्ट के अनुसार दिशाओं में चिन्हीकरण करके बताया लेकिन पड़ोसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 8 द्वारा विवाद करने तथा पैमाईस से सहमत नही हुवे तथा पैमाईस फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये तथा

उप खण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण खेत खसरा नम्बर 1370,1370/1,1370/2. 1370/3 की विधिवत पैमाईश की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा पैमाईस करने के उदेश्य से मौके पर गये परन्तु पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 सहमत नही होने के कारण मौके पर खुटे व तारबन्दी नहीं की जा सकी तथा प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार लोहावट से पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो तहसीलदार टालम टोलम करने लगे और पत्थरगढी नही की तथा प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय से पत्थरगढी आदेश लाने को कहा इसलिये प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का पेश करना पड़ रहा है।

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी अधिकारो की भूमि की पैमाईस नियमानुसार करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिसकी सीमाओं पर पत्थर गाड कर तारबन्दी करके भूमि के सुधार कार्य करना चाहते है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा सीमांकन पर प्रार्थीगण को अपने खेत की सीमा पर पत्थर के खुटे व तारबन्दी नहीं करने देने से मवेशियो आदि से फसल को नुकसान पहुंचाते है जिससे प्रार्थीगण को नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी के लिए टीम गठित कर पत्थगढी करवाना चाहते है ताकि हमेशा प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढकर झगड़ा फसाद नहीं हो इसलिए न्यायहित में पैमाईश टीम का गठन किया जाकर प्रार्थीगण की उक्त भूमि की विधिवत पैमाईश पुलिस इमदाद की मौजूदगी में किये जाने एवं माफिक पैमाईश प्रार्थीगण की भूमि की विधिवत पत्थरगढी करवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब किये। अप्रार्थीगण कि ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। बाद इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो व सीमांकन मौका फर्द का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी की भूमि का पूर्व में हल्का पटवारी द्वारा किये गयें सीमाकंन की फर्द पत्रावली मे उपलब्ध है। प्रथम दृश्टया प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से सीमा संम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने की संभावना होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है एवं इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है। और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र नैसर्गिक सिद्वान्त एवं प्राकृतिक न्यायहित में स्वीकर योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि कि ग्राम पल्ली द्वितीय पटवार हल्का पल्ली तहसील लोहावट की सरहद में खेत खसरा नम्बर 1370/2 रकबा 3.6826 हैक्टेयर भूमि की सीमाओ का राजस्व टीम गठीत करवाकर,नियमानुसार सीमांकन किया जाकर सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था के लिए संबंधित पुलिस थाना से ईमदाद ली जाकर उपरोक्त खसरान की सीमाओं की पत्थरगढी करवायी जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.1.24 को सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

प्र[illegible]कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

Scanned with CamScanner